an>

Title: Need to undertake census of OBCs, Notified Tribes and Vimukta Jati and Nomadic Tribes.

श्री नाना पटोले **(भंडारा-गोंदिया) :** केन्द्र सरकार ने हाल ही में 15 मार्च के पहले जाति आधारित जनगणना पूरी करने का राज्यों को आदेश दिया है। सरकार ने जनगणना के पूस्ताव के प्रारूप को देश में राज्यों के ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका को मान्यता के लिए भेजा है। इस पूस्ताव में एस.सी. एस.टी. एवं अन्य जातियों को "इतर" ऐसे शब्द से उल्लेखित किया है। इसके कारण ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की स्वतंत्र जनगणना न होने से इन जातियों के समाज पर अन्याय हुआ है। वर्ष 1931 में ब्रिटिश काल से अभी तक ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की जनगणना न होने से इस समाज का 66 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास न होने से आज भी पिछड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना अनिवार्य है। लेकिन इस समाज की जाति निहाय स्वतंत्र जनगणना न होने से इन जातियों की निश्चित संख्या कितनी है, इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूस्ताव पारित कर ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की स्वतंतूता से जनगणना कराने के विषय में शीघूता से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।